राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

कमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/26252 जयपुर, दिनांकः 27/6/17

आदेश

विभागीय आदेश कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/13687 दिनांक 10.05.2017 की निरन्तरता में नगर निकायो के क्षेत्राधिकार में निकायो द्वारा लघु अवधि किराया ग्राउण्ड रेन्ट के प्रकरणो में निर्णय लेने में आ रही कठिनाईयों के निस्तारण के संबंध में राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 73 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. लघु अवधि लीज/किरायेदारी जिस दिनांक को समाप्त हुई है उस दिनांक से अगले 30 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जावे। उक्त 30 वर्ष की नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुनः 30 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जा सकता है अर्थात प्रत्येक 30 वर्ष बाद लघु अवधि लीज/किरायेदारी का नवीनीकरण किये जाने की कार्यवाही की जावे।
2. जिन लघु अवधि लीजधारको /किरायेदारो द्वारा प्रथम तल पर बिना अनुमति निर्माण करवा लिया है उनसे प्रथम तल खाली करवाया जावे तथा जितने वर्षो तक उसका अनाधिकृत उपयोग किया गया है उस अवधि का किराया भी वसूल किया जावे। तत्पश्चात् भूतल पर निर्मित दूकान की लघु लीज लघु/किरायेदारी का 30 वर्षो तक बढाई जावे तथा प्रत्येक 30 वर्ष के पूर्ण होने पर लघु अवधि लीज/किरायेदारी आगामी 30 वर्षो हेतु नवीनीकृत की जावे।
3. किसी भी दुकानदार को प्रथम तल पर निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जावे तथा प्रथम तल को नीलामी के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर दिया जा सकता है।
4. जिन किरायेदारो द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर किराया जमा करवाया जा रहा है, ऐसे प्रकरणो में जिस दिनांक को वार्षिक किरायेदारी डीड में वर्णित अवधि को समाप्त हो रही है उस दिनांक से 30 वर्ष की किरायेदारी हेतु लीज राशि में आदेश दिनांक 10.05.2017 के अनुसार वृद्धि करते हुये लीज डीड बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप जारी की जावे।
5. परम्परागत रूप से किराये पर चलने वाली दुकानों की लीज–डीड भी आगामी 30 वर्ष के लिये इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.05.17 में वर्णित उपबन्धो के अधीन जारी की जा सकती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/26253–26712 दिनांकः 27/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. समस्त आयुक्त, विकास प्राधिकरण राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।

06. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास राजस्थान।
07. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज.।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
09. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज–पत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं 5 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी